बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

पटना–15, दिनांक 21 अप्रैल, 2017

निगरानी थाना कांड संख्या–067 / 2016 दिनांक 13.07.2016 के संदर्भ में डॉ. जितेन्द्र गुप्ता, भा.प्र.से.(बिहार:2013) तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनियाँ (कैमूर) सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के दिनांक 12.07.2016 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा हिरासत में लिये जाने की तिथि से विभागीय आदेश संख्या–9984 दिनांक 20.07.2016 के द्वारा निलंबित किया गया था।

2. न्यायिक अभिरक्षा से रिहा होने के उपरांत दिनांक 11.08.2016 के पूर्वाह्न में सामान्य प्रशासन विभाग में डॉ. गुप्ता द्वारा योगदान दिया गया। डॉ. गुप्ता के योगदान अभ्यावेदन दिनांक 11.08.2016 पर सम्यक विचारोपरांत उनके योगदान के तिथि से निलंबन मुक्त करने निर्णय के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–11917 दिनांक 01.09.2016 के द्वारा निलंबन मुक्त किया गया।

3. प्रश्नगत निगरानी वाद के प्रतिवेदित आरोप के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1969 के नियम–8 के अधीन डॉ. गुप्ता से बचाव बयान प्राप्त किये जाने के राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में विभागीय आरोप ज्ञापन ज्ञाप संख्या–16372 दिनांक 08.12.2016 के द्वारा डॉ. गुप्ता से बचाव बयान की मांग की गयी। इस प्रसंग में उनके पत्रांक–08 दिनांक 21.02.2017 द्वारा बचाव बयान समर्पित किया गया।

4. डॉ. गुप्ता ने आलोच्च प्राथमिकी को माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष सी.डब्लू.जे.सी. संख्या–1000 / 2016 दायर कर चुनौती दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय की दिनांक 28.10.2016 को पारित आदेश के द्वारा डॉ. गुप्ता के विरूद्ध दायर प्राथमिकी संख्या–067 / 2016 को खारिज कर दिया गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना के संदर्भगत न्यायादेश दिनांक 28.10.2016 के विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका संख्या–805 / 2017 दायर की गयी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार के अपील को अमान्य कर दिया।

5. आलोच्य प्राथमिकी के संदर्भ में डॉ. गुप्ता को निलंबित किया गया था और इसी आधार पर उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी। इस मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना और सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के पश्चात् आलोच्च विभागीय कार्यवाही का औचित्य नहीं रह जाता है। फलतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा डॉ. गुप्ता के बचाव अभ्यावेदन के आलोक में उनके विरूद्ध प्रारम्भ की गई विभागीय कार्यवाही को समाप्त किये जाने और डॉ. गुप्ता के न्यायिक अभिरक्षा की अवधि दिनांक 13.07.2016 से 10.08.2016 तक की अवधि को कर्त्तव्य पर माने जाने और इसे विनियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6. राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में डॉ. जितेन्द्र गुप्ता के विरूद्ध संचालित आलोच्च विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। साथ ही डॉ. गुप्ता के न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई अवधि दिनांक 13.07.2016 से 10.08.2016 तक को कार्य अवधि / कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि मानते हुए इसे विनियमित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21/4/17

(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

P.T.O.

ज्ञापांक :–6/आ0–58/2016 सा0प्र0– 4782 पटना–15, दिनांक– 21 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि :– डॉ0 जितेन्द्र गुप्ता, भा.प्र.से.(बिहार:2013) तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनियाँ (कैमूर) सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/अपर महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/4/17

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–6/आ0–58/2016 सा0प्र0– 4782 पटना–15, दिनांक– 21 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थापना पदाधिकारी, कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव कोषांग (कम्प्यूटर सेल) पटना/पटना सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/जिला कोषागार, कैमूर (भभुआ)/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के प्रशाखा–01/प्रशाखा–06 (निलम्बन समीक्षा पटल हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/4/17

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–6/आ0–58/2016 सा0प्र0– 4782 पटना–15, दिनांक– 21 अप्रैल, 2017

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया इस आदेश के बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रतर कार्रवाई की जाय।

21/4/17

सरकार के अवर सचिव।